# चित्रकूट-पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

## (1). 03 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

## 52 किलो0 840 ग्राम गांजा, 02 चार पहिया वाहन, 02 तमंचे बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी श्री चन्दन पाण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह की टीमों द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये 03 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को 52 किलो 840 ग्राम गांजा, 02 चार पहिया वाहन, 02 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1.इस्माइल खां पुत्र सलीम खां उम्र 33 वर्ष निवासी गोल चौक के पास कबीर नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ प्रदेश

2.विष्णु साहू पुत्र हेमन्ता साहू उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम राजामुण्डा थाना एम रामपुर जिला काला हाण्डी उड़ीसा प्रदेश

3.विजय गुप्ता पुत्र रज्जन गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी मोहल्ला जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**अभियुक्त विजय गुप्ता का आपराधिक इतिहासः-**

1.मु0अ0सं0 419/2023 धारा 08/20/25/29/07 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

2.मु0अ0सं0 362/2022 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात बांदा

3.मु0अ0सं0 382/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 84/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

**बरामदगीः-**

(1)52 किलो 840 ग्राम गांजा

(2) 02 अदद तमंचे 32 बोर

(3) ग्रान्ड आई 10 गाडी नं0 CG 09 JD 0701

(4) टाटा टिगोर गाडी नं0 UP 96 N 2365

(5) 03 अदद मोबाइल

(6) 10680/- रुपये

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः-**

खोह रेलवे अण्डर ब्रिज के पास थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 11.06.2024 की रात्रि समय 00.30 बजे

**सक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी श्री चन्दन पाण्डेय को मुखबिर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों द्वारा गांजे की तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुयी। इस सूचना पर थानाध्यक्ष एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को सूचना से अवगत कराया गया। नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से दिनाँक 10/11.06.2024 की रात्रि में खोह अण्डर ब्रिज के पास झाड़ियों से 1. इस्माइल खां पुत्र सलीम खां उम्र 33 वर्ष निवासी गोल चौक के पास कबीर नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ प्रदेश 2. विष्णु साहू पुत्र हेमन्ता साहू उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम राजामुण्डा थाना एम रामपुर जिला काला हाण्डी उडीसा प्रदेश 3. विजय गुप्ता पुत्र रज्जन गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी मो0 जगदीश गंज थाना कोतवाली कर्वी जिला

चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से 02 कार बरामद की गयी जिसमें 52 किलो 840 ग्राम गांजा बरामद हुआ । अभियुक्तों की जामा तलाशी से उनके कब्जे से 02 तमंचे 32 बोर, 03 मोबाइल, कुल 10680/- रुपये बरामद हुये । अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछतांछ करने पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त इस्माइल खां व विष्णु साहू द्वारा बताया कि हम लोग उडीसा से कम दाम में गांजा खरीद कर मांग के अनुसार उ0प्र0 व बिहार में सप्लाई करते हैं, हम लोग उड़ीसा से लाया हुआ गांजा विजय गुप्ता को देने आये थे। ग्रान्ड आई 10 गाडी नं0 CG 09 JD 0701 से गांजा लेकर उडीसा से आये है यहां पर अपनी गाडी से गांजा उतारकर विजय गुप्ता की टाटा टिगोर गाडी नं0 UP 96 N 2365 में रख रहे थे विजय गुप्ता की गाडी में अभी एक बोरी गांजा ही रख पाये है।

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 382/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, अवैध तमंचों की बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 83,84/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये। बरामदशुदा दोनों कारों को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

**एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीमः-**

1.थानाध्यक्ष एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी श्री चन्दन पाण्डेय
2.उ0नि0 विनोद कुमार
3.मुख्य आरक्षी रामनरेश सिंह
4.आरक्षी अभय कुमार
5.आरक्षी विमल कुमार
6.आरक्षी देवानन्द
7.आरक्षी हरवंश कुमार
8.आरक्षी प्रदीप कुमार

**थाना कोतवाली कर्वी की टीमः-**

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला कारागार
3.आरक्षी राहुल देव
4.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

**(3).** आज दिनाँक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(4).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार सरोज तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2022 धारा 498ए,304बी,315 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला उर्फ कल्लू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ सुग्गा निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.11.2022 को वादी श्री संजय तिवारी पुत्र वेदप्रकाश निवासी गुबरौल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा सूचना दी थी कि उसकी बहन निहारिका देवी के पति धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला उपरोक्त और ससुरालीजन दहेज को लेकर निहारिका का उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होनें उसकी गर्भवती बहन को मारकर फांसी से लटका दिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 198/2022 धारा 498ए,304बी,315 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिवप्रकाश सोनकर द्वारा की गयी। दिनाँक 10.11.2022 को आरपी को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 21.12.2022 को आरपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

**(5).** आज दिनांक 11.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह द्वारा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 155/2024 धारा 307,323 भादवि0 के वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र दंगाली प्रजापति निवासी कुम्हारों का डेरा मजरा चित्रवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह

2.आरक्षी नंदलाल राम

3.आरक्षी मनीष यादव

**(7).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 126/2024 धारा 302,201,364,120बी,376D भादवि0 के वांछित अभियुक्त रामबाबू पुत्र केशव प्रसाद व चुन्ना निषाद पुत्र रामकृष्ण उम्र 51 वर्ष निवासीगण ग्राम टिकरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

1.निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार थाना राजापुर

2.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

3.आरक्षी अरुण यादव

4.आरक्षी शुभम मिश्रा

**(8).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार एवं उनकी टीम द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07/08.06.2024 की रात्रि में थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम रौली कल्याणपुर में 12 बजे के बाद डीजे बजाने की शिकायत पर डीजे बजाने से रोकने पर रौली कल्यणपुर के ग्राम वासियों एवं उनके रिश्तेदारों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0स0 93/24 धारा 147,148,149,353,332,307,323,504,506, 427,394 भादवि0 व 7 क्रि0 ला0 एवे0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 13 अभियुक्तों को दिनाँक 08.06.2024 को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनाँक 11.06.2024 को उ0नि0 श्री रामकुमार एवं उनकी टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त 1.उमाशंकर पुत्र चन्द्रपाल उर्फ फूलचन्द्र उम्र करीब 29 वर्ष 2.राजकिशोर पुत्र दीनदयाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासीगण ग्राम रौली कल्यानपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उमाशंकर उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

**बरामदगीः-**

घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना राजापुर

2.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह

3.आरक्षी अखिलेश तोमर

4.आरक्षी नरेन्द्र सिंह

5.आरक्षी शिवम मिश्रा

(9). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया

आज दिनाँक-11.06.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। मीटिंग में उपस्थित सभी शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सैनिक सम्मेलन में मिशन शक्ति फेज-4 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरुकता कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य करने हेतु महिला आरक्षी पूनम यादव व महिला आरक्षी माद्री तोमर को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसप पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अपराध गोष्ठी में महोदय द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(i). अवैध खनन और अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता के विरुद्ध सचेत रहने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

(ii). पुराने लम्बित मुकदमों सहित वर्ष 2024 में पंजीकृत मुकदमों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(iii). थाना/चौकिया में जो मरम्मत की आवश्यकता है उसके संबंध में कराये जाने वाले कार्यों का इस्टीमेट बनाकर आवश्यक धनराशि प्राप्त कर अतिशीघ्र सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(iv). बंदशुदा हिस्ट्रीशीट में अबतक मृतक हिस्ट्रीसीटर का अतिशीघ्र सत्यापन कर उनका HS खाका नष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(v). पेशेवर व शातिर अपराधियों को चिन्हित कर चुनाव के दृष्टिगत उन पर गुण्डा एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जिला बदर कराये जाने हेतु समुचित पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(vi). आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव में शांति भंग करने वाले सम्भावित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये भारी धनराशि से पाबंद कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री निशिकान्त राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।